


—::आदेश::—

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर अप्रार्थीगण को न्यायालय के आदेश दिनांक 08.02.2023 की अवहेलना का दोषी मानते हुए उन्हें दण्डित करने एवं अतिक्रमण को हटाया जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




मनसुख राम डामोर (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
घाटोल
घाटोल